संख्या—10/2020/414/एक-5-2020-54/2020

प्रेषक,

राम सुमेर,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

आयुक्त एवं सचिव,
राजस्व परिषद, उ0प्र0
लखनऊ।

राजस्व अनुभाग-5 लखनऊ:: दिनांक 13 जुलाई, 2020

विषय-राजस्व अभिलेखागार कलेक्ट्रेट बदायूँ के जीर्णोद्वार/मरम्मत एवं बिजली फिटिंग के कार्य हेतु प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के संबंध मे।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र सं0-3202/12-भवन-92/2019 (अनावासीय) दिनांक 19 मार्च, 2020 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राजस्व अभिलेखागार कलेक्ट्रेट बदायूँ के जीर्णोद्वार/मरम्मत एवं बिजली फिटिंग के कार्य हेतु रू0 51.07 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति तथा सम्पूर्ण धनराशि रू0 51.07 लाख (रू0 इक्यावन लाख सात हजार मात्र) अवमुक्त कर नियमानुसार व्यय किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति निम्नलिखित शर्तो के अधीन प्रदान करते है:-

(1) उक्त कार्य कराने हेतु लोक निर्माण विभाग को कार्यदायी संस्था नामित किया जाता है।

(2) वित्तीय स्वीकृतियां निर्गत करने विषयक वित्त विभाग के कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 24 मार्च, 2020 के प्रस्तर-2(9)(ड) में निहित व्यवस्थानुसार वित्त नियंत्रक/आहरण वितरण अधिकारी द्वारा कार्यदायी संस्था को आवश्यकतानुसार दो-दो माह की धनराशि निर्गत की जायेगी।

(3) कार्य की विशिष्टियां मानक व गुणवत्ता की जिम्मेदारी कार्यदायी संस्था की होगी तथा कार्यदायी संस्था यह सुनिश्चित करेंगे कि कार्य निर्धारित समयावधि में ही पूर्ण हो जाय।

(4) परियोजना की लागत में टाइम ओवर रन/कास्ट ओवर रन न हो। अतः इस संबंध में शासन द्वारा निर्गत दिशा-निर्देशों एवं बजट मैनुअल के प्रस्तर-212(vii) में दिये गये निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

(5) यह अनिवार्य रूप से सुनिश्चित किया जायेगा कि कार्यो के गुणवत्ता उच्चकोटि की हो तथा समय-समय पर सम्पादित कराये जा रहे निर्माण कार्यो की मानीटरिंग भी किया जायेगा।

(6) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्त पुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों, समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।

(7) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2 के शासनादेश दिनांक 26 अगस्त, 2014 में दिये गये निर्देश के आलोक में कार्य की वास्तविक लागत के आधार पर नियमानुसार व्यय किये जाने के उपरान्त यदि धनराशि शेष बचती है तो उसे निर्धारित प्रक्रियानुसार राजकोष में जमा कराना सुनिश्चित किया जायेगा।

(8) प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यो की द्विरावृति (डुप्लीकेसी) को रोकने की दृष्टि से यह सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अन्तर्गत न तो स्वीकृत है और न वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।

(9) लेबर सेस के भुगतान की कार्यवाही नियमानुसार सुनिश्चित की जायेगी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

(10) प्रश्नगत निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व विस्तृत आगणन तैयार कर सक्षम अधिकारी का अनुमोदन प्राप्त करने के साथ-साथ वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड-6 के अध्याय-12 के प्रस्तर-318 में वर्णित व्यावस्थानुसार प्रायोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त करने के पश्चात ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

(11) वित्त विभाग के वित्तीय स्वीकृतियां निर्गत करने विषयक वित्त विभाग के कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 24 मार्च, 2020, में दिये गये निर्देशों का पूर्णतः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(12) प्रायोजना का निर्माण कार्य निर्धारित समयावधि एवं स्वीकृत लागत में ही अवश्य पूर्ण करा लिया जायेगा।

(13) अवमुक्त की गयी सम्पूर्ण धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र वर्तमान वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

(14) सामग्री एवं सेवाओं के क्रय के लिए सुसंगत शासनादेशों में निहित व्यमवस्था का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(15) जी0एस0टी0 आदि की गणना की शुद्धता का उत्तरदायित्व कार्यदायी संस्था का होगा।

2- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2020-21 में अनुदान संख्या-50 के अन्तर्गत लेखाशीर्ष-4059-लोक निर्माण पर पूंजीगत परिव्यय-01-कार्यालय भवन-051-निर्माण-02-प्रदेश के मण्डल/जनपद/तहसीलों के अनावासीय भवनों के नवनिर्माण/पुनर्निर्माण/विस्तार/सुदृढीकरण एवं भूमि क्रय हेतु एकमुश्त व्यवस्था -24-वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई-5-921/दस-2020, दिनांक 08 जुलाई, 2020 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

राम सुमेर
संयुक्त सचिव।

संख्या-10/2020/414(1)/एक-5-2020-54/2020 :: तददिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज।
2- महालेखाकार, (लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज।
3- कोषाधिकारी, लखनऊ।
4- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-5
5- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
6- जिलाधिकारी, बदायूं।
7- प्रमुख अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ।
8- राजस्व अनुभाग-6
9- गार्ड पत्रावली।

आज्ञा से,

सत्य प्रकाश
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in